

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, शाहपुरा

जगदीश चन्द्र पुत्र स्व० छगनलाल काबरा निवासी सिविल लाईन आर०के० कॉलोनी भीलवाड़ा	बनाम	प्रहलाद चन्द्र पुत्र स्व० छगनलाल काबरा निवासी ग्रा० पं० कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा वगैरा
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 146/2024 निगरानी

तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2024	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब की जावें। प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवायी हेतु दिनांक 19.09.2024 को पेश करें। अति० जिला कलक्टर शाहपुरा	
19/09/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी उपस्थित हैं। अतः पत्रावली आबन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 16/10/24 को पेश हो। सीडर अति० जिला कलक्टर शाहपुरा	
16/10/2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी उपस्थित हैं। अतः पत्रावली आबन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 26/10/2024 को पेश हो। सीडर अति० जिला कलक्टर शाहपुरा	
	राजस्व (सू-2) विभाग जयपुर के राजस्व पत्र (21) राज-1/2 दिनांक 02.01.2023 को अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नवसूचित राज्य सरकार को निरस्त कर दिया गया है। नवसूचित राज्य सरकार की तहसीलों से संबंधित राजस्व (सू-2) विभाग जयपुर को जिला कलक्टर शाहपुरा के राजस्व (सू-2) विभाग के पत्रावली दिनांक 02.01.2023 के अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा में स्थानान्तरित किया जाता है। आज्ञा से जिला कलक्टर, शाहपुरा	

2011/25 आदेश क्रमांक 0215 दिनांक 26-6-25
 से प्रकरण पूर्ण रजिस्टर करें।
 29-1-26 के माफिक अति. जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

जी.कि.

29/01/26 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी जी. अल्पराजकर से व्यक्त
 है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
 लिए दिनांक 24/02/2026 को पेश हो।

निगराकार की ओर से
 अधिकारपत्र पेश।

[Signature]

शेडर
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

24/02/26 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी जी. अल्पराजकर से व्यक्त
 है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
 लिए दिनांक 25/03/2026 को पेश हो।

[Signature]

शेडर
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

25/3/26 पत्रावली पेश। निगराकार Adv ने विपक्षी के
 सम्मत पेश तर्क किए। निगरा Adv कथन
 के खर्चे पर वि. जारी करावें।
 पत्रावली सम्मत तर्क 15-4-26 को
 पेश हो।

[Signature]
 25.3.26

अति. जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

15-4-26 पत्रावली पेश हुई। निगराकार व निगराकार Adv
 उपरोक्त दोष कर, निवेदन किया कि प्रकरण में
 शरीनामा हो जाने से वे Not press पर
 रहे हैं। पत्रावली में Not press हो जाने
 से इस पत्रावली को सम्मत कार्यवाही
 Drop की जाती है।

पत्रावली गैर से नस होकर फेसल
 शुमार हो।

[Signature]
 अति. जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

अपनी राजीनामा
 हो जाने से उभय
 कार्यवाही नहीं
 चाहते हैं
 Not press
 करते हैं
 Confidential

Identity
 R.C. Chechan
 Advocate

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, शाहपुरा

जगदीश चन्द्र पुत्र स्व० छगनलाल काबरा निवासी सिविल लाईन आर०के० कॉलोनी भीलवाड़ा	बनाम	विनोद कुमार पुत्र प्रहलाद चन्द्र काबरा निवासी ग्रा० पं० कोटडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा बगैरा
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 145/2024 निगरानी

तारीखहुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.09.2024	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब की जावें। प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवायी हेतु दिनांक 19.09.2024 को पेश करें।	
15/09/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित सिविल जज अधिकारी जी हैं। अतः पत्रावली अहकाम कार्यवाही के लिए दिनांक 16/10/24 को पेश हो।	
16/10/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित सिविल जज अधिकारी जी हैं। अतः पत्रावली अहकाम कार्यवाही के लिए दिनांक 26/10/24 को पेश हो।	
	राजस्व (घप-1) विभाग कागजात के अंक 49/21) राज-1/... के अहकाम को न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा में स्थानान्तरित किया जाता है।	

20.11.25

आदेश क्रमांक 1215 दिनांक 27-6-25
से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करें। (दिनांक 29-1-26
को पेश हो।)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जी.फि.

29/01/26

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी जी. अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 24/02/2026 को पेश हो।

निम्नानुसार
का अधिकांश
पत्र पेश।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

24/02/26

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी जी. अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 25/03/2026 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

15/03/26

25/3/26 पत्रावली पेश। निगरान्कार Adv ने विपक्षी
के सम्मन पेश कर जारी नहीं कराया।
निगरान्कार Adv स्वयं के सर्विस पर
Reg. नोटिस जारी कराये।
फा० सम्मन-कब्जी 15-4-26 को
पेश हो।
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

15-4-26 पत्रावली पेश हुई। निगरान्कार व
निगरान्कार Adv उपरोक्त सूचना देकर निवेदन
किया कि प्रकरण में रजिनामा हो
जाने से वे Not Press कर रहे हैं।
पत्रावली में Not Press हो जाने से
इस पत्रावली में सम्मन कार्यवाही
Drop की जाती है।
पत्रावली नंबर से सम्मन देकर
पेशाला शुमार हो।
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आपकी रजिनामा
हो जाने से उम्मीद
कार्यवाही नहीं
चाहते हैं, Not
press करते हैं।
R.C. Chakraborty
Advocate